विभागीय वैबसाईट पर स्थापित करने हेतु राजकौशल समिति के संबंध में संक्षिप्त विवरण

- बेरोज़गार आशार्थियों के कौशल विकास कार्य हेतु रोज़गार विभाग के अधीन राजस्थान रोज़गार सरलीकरण एवं कौशल विकास समिति(राजकौशल) का गठन किया गया है जिसका पंजीयन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंतर्गत क्रम संख्या 432/07 के द्वारा दिनांक 18–9–2007 को किया गया।

- राजकौशल समिति के प्रमुख उद्वेश्यो में कौशल विकास से संबंधित समस्त कार्यक्रमों का संचालन, बेरोज़गार आशार्थियों के रोज़गार सरलीकरण हेतु रोज़गार/स्वरोज़गार के विभिन्न कार्यक्रमों को हाथ में लेना आदि प्रमुख है।

- बजट घोषणा 2007–08 की अनुपालना में जयपुर में खेतान पॉलिटेक्निक के परिसर में एनीमेशन एकेडमी की स्थापना 8–12–2007 को की गई

- उक्त एकेडमी में दो कोर्स चलाये जा रहे है। प्रत्येक कोर्स में 50 आशार्थियों का बैच है। पहला कोर्स छः माह की अवधि का है जिसमें बी एफ ए/एम एफ ए/बी.ई./बी.सी.ए./एम.सी.ए. योग्यताधारी आशार्थी पात्र है। दूसरा कोर्स एक वर्ष की अवधि का है जिसके लिये 12 वी कक्षा उत्तीर्ण एवं अधिक योग्यता के आशार्थी पात्र है।

- रोज़गार विभाग के द्वारा राजकौशल के माध्यम से एकलव्य औद्योगिक प्रशिक्षण योजना–2008 का भी शुभारंभ किया गया है। इस योजना का संचालन राजकौशल समिति के द्वारा जिला इकाईयो के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं को औद्योगिक व सेवा इकाईयो में प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें रोज़गार के लिये सक्षम बनाया जायेगा। इसके लिये प्रति आशार्थी को रूपये 1500/– प्रतिमाह एवं औद्योगिक/सेवा इकाई को रूपये 1000/– प्रति आशार्थी प्रतिमाह तीन माह तक देय होगा। इस प्रकार योजनान्तर्गत प्रति आशर्थी रूपये 7500/– का प्रावधान रखा गया है।